BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 514 OF 2025

IN THE MATTER OF:

SANDEEP KUMAR VERMA …APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. …RESPONDENT(S)

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	**AFFIDAVIT BY RESPONDENT NO. 5, DISTRICT MAGISTRATE, BIJNOR IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 17.10.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**	
2.	A TRUE COPY OF THE SAID JOINT COMMITTEE REPORT IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF THE MINUTES OF MEETINGS DATED 21.04.2026 IS BEING ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE-2	
4.	A COPY OF THE SAID LETTER DATED 02.05.2026 IS ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE- 3	

5.	A COPY OF THE SAID SHOW CAUSE NOTICE DATED 13.05.2026 IS BEING ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE-4	
6.	A COPY OF THE SAID LETTER DATED 12.01.2026 IS BEING ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE-5	
7.	A COPY OF THE SAID LETTER DATED 30.04.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE- 6	
8.	A TRUE COPY OF THE LETTER DATED 11.05.2026 IS ANNEXED HERETO AND MARKED AS ANNEXURE-7	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE DM, BIJNOR
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com | 9315560584

Date: 19.05.2026

Place: NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 514 OF 2025

NOTARY
Gajendra Pal Singh
Advocate Notary
Bijnor (U.P)
R.No.-64(19) / 2008
NOTARIAL NOTARIAL
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

IN THE MATTER OF:

SANDEEP KUMAR VERMA

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ...RESPONDENT(S)

AFFIDAVIT BY RESPONDENT NO. 5 DISTRICT MAGISTRATE, BIJNOR IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 17.10.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I, Jasjit Kaur aged about 40 years, D/o Shri Parminder Singh, presently posted as District Magistrate, Bijnor, State of U.P., do hereby solemnly state and affirm as under:

That I am well conversant with the facts and circumstances of the present case and am competent to swear this affidavit.

Gajendra Pal Singh
Advocate Notary
Bijnor (U.P.)
R No.-64(19)/2008
NOTARY
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

I. BACKGROUND OF THE MATTER

1. That in the present matter, the Applicant has raised a grievance against the encroachment on River Malan in Najibabad, District Bijnor, Uttar Pradesh.

2. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 17.10.2025 has directed the respondents to their response/ reply by way of affidavit. The operative part of the order is as stated below:

"5. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Additional Chief Secretary, Environment Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh (2) Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Department, Government of Uttar Pradesh, (3) Director General, National Mission for Clean Ganga, (4) Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and (5) District Magistrate, Bijnor who stand impleaded as respondents no. 1 to 5."

II. COMPLIANCE/ ACTION TAKEN IN COMPLIANCE OF THE DIRECTIONS ISSUED BY THE HON'BLE TRIBUNAL

A. JOINT COMMITTEE INSPECTION DATED 06.01.2026 AND 07.01.2026

3. It is submitted that in compliance of the directions passed by the Hon'ble Tribunal vide order dated 17.10.2025, the nominated members of the Joint Committee **conducted a joint survey/inspection** regarding illegal encroachments on the Malan River, Najibabad, District-Bijnor, on **06.01.2026 and 07.01.2026.**

NOTARY
Gajendra Pal Singh
Advocate Notary
Bijnor (U.P)
R.No.-64(19)/2008
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

A true copy of the said Joint Committee report is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1**

4. It is submitted that some recommendations have been given by the Joint Committee from which are produced as under:

S.No	Directive	Current Status	Gap / Recommendation	Concerned Department
1	**Identification and GIS mapping of**	Incomplete; no formal	Conduct hydrological studies; delineate floodplain for 5, 25, 50,	Irrigation / Minor Irrigation

	river and floodplain	demarcation	100-year return periods; prepare GIS map with notification	
2	**Catchment rehabilitation**	Ongoing degradation; no formal plan	Prepare integrated catchment management plan addressing forestry, agriculture, groundwater, and erosion control	Irrigation / Minor Irrigation & Forest Department
3	**Encroachment identification and removal**	Identified through site visit	Conduct formal survey; issue notices under applicable land acts	**District Administration**
4	**Drain tapping and STP construction**	No tapping; no treatment facility	Identify all drains; design interceptor/diversion lines; construct STP with adequate capacity	SMCG / NMCG
5	**Review of treatment facilities**	No existing facility for Malan	Conduct capacity assessment of any available MSWM or treatment infrastructure; plan augmentation	Swachh Bharat Mission (SBM)

NOTARY
Gajendra Pal Singh
Advocate Notary
Bijnor (U.P.)
R.No.-64(19) / 2008
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

6	**Riparian Buffer**	Non-existent, only weeds found	Demarcate riparian buffer zone and plantation of native species	Forest Department
7	**Treated water reuse**	Not applicable at present	After STP construction, design reuse pipeline to irrigation canal and/or industrial users	SMCG / NMCG

NOTARY
Gajendra Pal Singh
Advocate Notary
Bijnor (U.P.)
R No 54(19) / 2008
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

B. ACTION TAKEN BY THE DISTRICT ADMINISTRATION

5. It is submitted that on 21.04.2026, meeting of the District Ganga Committee was convened under the chairmanship of the Deponent wherein directions were issued to the Regional Officer, UPPCB, relevant portion of which is produced as under:

   "According to the applicant, encroachments and illegal colonies, such as Abu Fazal Colony, exist. In connection with the above, the District Magistrate directed the Regional Officer of Uttar Pradesh Pollution Control Board, Bijnor to collect all the required information from the concerned departments and ensure timely sending it to the concerned for further action"

A copy of the Minutes of Meetings dated 21.04.2026 is being annexed herewith as **ANNEXURE-2**

6. It is submitted that the District Administration along with the UPPCB again surveyed the stretch of River Malan in the catchment of District Bijnor on 02.05.2026. It is further submitted that River Malan enters at Village-Mathurapur Mor, Najibabad in District Bijnor and meet River Ganga at Village-Rawli.

NOTARY
Gajendra Pal Singh
Advocate Notary
Bijnor (U.P)
R.No.-64(19) / 2008
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

That pertaining to the issue of encroachment in the catchment area of River Malan, EO, Nagar Palika Parishad, Najibabad, vide letter dated 02.05.2026 has informed the RO, PCB that the map of the Abu Fazal colony is not approved by the Development Authority and no application for the approval of map of the colony has been received in the office of Nagar Palika Parishad, Najibabad, Bijnor.

A copy of the said letter dated 02.05.2026 is annexed herewith as **ANNEXURE- 3**

8. **It is submitted that subsequently, the Sub- Divisional Magistrate, Najibabad vide letter dated 13.05.2026 has served a Show Cause Notice to Mr. Naeem Ahmad, S/O Nazir Ahmed, Resident of Mohalla**

Rampura, Najibabad U/S 10 of the Uttar Pradesh (Regulation of Construction Work) Act, 1958. That in said Notice, a prompt response has been sought from Mr. Naeem as to why an order for demolition/ sealing of the illegal Abu Fazal colony shall not be passed.

A copy of the said Show Cause Notice dated 13.05.2026 is being annexed herewith as **ANNEXURE-4**

NOTARY ★ GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
Gajendra Pal Singh
Advocate Notary
Bijnor (U.P.)
R.No.-64(19) / 2008

C. ACTION TAKEN FOR DETERMINATION OF THE FLOOD PLAIN ZONE

9. It is submitted that the determination of the floodplain of the River Malan is underway and an estimate amount of ₹36.18 lakhs was paid by the Irrigation and Water Resources Department, to the Survey of India, Map Division, U.P. Geospatial Directorate (Northern Region), Lucknow. That further, the Survey of India, Lucknow, vide letter dated 12.01.2026, had stated that after the tender process and allotment of contract, for providing the DEM and ORI data, an estimate time of minimum four months will be required to provide the desired data.

A copy of the said letter dated 12.01.2026 is being annexed herewith as **ANNEXURE-5**

D. REGARDING DRAINS MEETING IN THE RIVER

10.It is submitted that there are 08 major and minor drains discharging untreated flow in River Malan. The details of which are given as under:

NOTARY
Gajendra Pal Singh
Advocate Notary
Bijnor (U.P)
R.No.-64(19) / 2008
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

S No.	Drains	Flow (MLD)
1.	Yashvantpur Drain	To be measured by the Irrigation/ Jal Nigam
2.	Abufazal Colony Drain (Kachna Drain)	2.774
3.	Ramleela ground Drain	0.75
4.	Santoshi Mata Mandir Drain	0.532
5.	HMH Hospital Drain	0.772
6.	Shakur Nagar Drain	1.056
7.	Dhoom Singh Drain	0.096
8.	Oil Depot Drain	5.039

11. That UP Jal Nigam (Urban) Moradabad vide letter dated 30.04.2026 has submitted an action plan and timeline to the Regional Officer, Pollution Control Board, Bijnor and the District Magistrate, Bijnor for the tapping of above mentioned 7 drains. As per the above letter dated 30.04.2026, UP Jal

Nigam (Urban) has proposed the establishment of an STP of 11.1 MLD for the treatment of discharge of above said drains.

A copy of the said letter dated 30.04.2026 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE- 6**

NOTARY
Gajendra Pal Singh
Advocate Notary
Bijnor (U.P.)
R.No.-64(19) / 2008
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

12. That further, it is submitted that the Deponent vide letter dated 11.05.2026 has issued directions to District Panchayati Raj officer, Bijnor to submit the action plan and current status report for treatment of sewage of Yashwantpur drain and submit an action taken report to the Deponent and the Regional Officer, Pollution Board, at the earliest.

A true copy of the letter dated 11.05.2026 is annexed hereto and marked as **ANNEXURE- 7**

13. That the Deponent, being duty-bound under law, is committed to ensuring strict compliance with all directions of this Hon'ble Tribunal and undertakes to adhere to any further orders or instructions issued hereafter, without demur or delay.

14. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal and it is prayed that the same be taken on record.

DEPONENT

NOTARY
Gajendra Pal Singh
Advocate Notary
Bijnor (U.P)
R.No.-64(19) / 2008
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

VERIFICATION

Verified at Bijnor on this 18 day of May, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 14 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Sworn before me on this 18 day of the May 2026
by Ms Jagjit Kaur
who has been identified by Bhanwar Pal Singh
who is personally known to me Jadon Adv
whose signature (S) is/are here it appended.

18/5/2026.

Gajendra Pal Singh
NOTARY,
BIJNOR-246701 (U.P.)

DEPONENT

ANNEXURE-1

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–514/2025, Sandeep Kumar Verma Versus State of Uttar Pradesh and Ors. में पारित आदेश दिनांक–17.10.2025 के अनुपालन के संबंध में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–514/2025, Sandeep Kumar Verma Versus State of Uttar Pradesh and Ors. में पारित आदेश दिनांक–17.10.2025 के मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"1. Mr. Sandeep Kumar Verma resident of Mohalla Taksal Najibabad, District Bijnor, Uttar Pradesh has sent a letter petition dated 17.05.2025 by email, which has been treated and registered as Original Application for exercise of suo moto jurisdiction in view of law laid down by Hon'ble Supreme Court in **Municipal Corporation of Greater Mumbai Versus Ankita Sinha and others, (2022) 13 SCC 401.**

2. The applicant has raised the grievances regarding encroachment on River Malan in Najibabad, District Bijnor, Uttar Pradesh. The relevant part of the letter petition, treated as original application, enumerating grievances of the applicant reads as under:-………..

4. *Prima facie,* the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010.

5. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Additional Chief Secretary, Environment Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh (2) Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Department, Government of Uttar Pradesh, (3) Director General, National Mission for Clean Ganga, (4) Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and (5) District Magistrate, Bijnor who stand impleaded as respondents no. 1 to 5.

6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 5 requiring them to file their replies/responses at least one week before the date hereby fixed.

7. In view of the averments made in the application and the facts and circumstances, we consider it essential to constitute and accordingly constitute a Committee comprising nominees of Regional Officer, Integrated Regional Office, MOEF&CC, Lucknow; Additional Chief Secretary, Environment Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh, Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Member Secretary, UPPCB, Director General, National Mission for Clean Ganga and Mr. Raman Kant, President, Bhartiya Nadi Parishad, First Floor, Samrat Shopping Mall, Garh Road, Meerut, Uttar Pradesh (Non-Official). The Non-Official Member of the Committee will be paid honorarium of Rs. 50,000/-

(one time) besides travelling and boarding/lodging expenses. The expenses of the Committee for convening meetings, travelling, boarding/lodging etc., will be borne by the UPPCB out of environmental compensation amount lying deposited with it. UPPCB will be the nodal agency for co-ordination and compliance.

8. The Committee shall look into all relevant aspects pertaining to riverine ecology and aquatic life and in particular the issues of (i) identification /demarcation of area of Malan River and its translation on GIS Map; (ii) rehabilitation and management of its catchment area; (iii) encroachments on the same and removal thereof; (iv) tapping of all drains discharging in river Malan by construction of STPs etc.; (v) review of existing treatment facilities for treatment of industrial effluents and domestic sewage and improvements required to be made and (vi) reuse of treated water from STPs/CETPs for irrigation by connecting the same to irrigation canals/channels and industrial purposes by laying down pipelines connecting the concerned industries as the case may be.

9. Report of the Joint Committee may be filed at least one week before the date hereby fixed.

10. List on 19.01.2026 for further consideration........

उक्त के अनुपालन में बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच35849/सी–7/ओ0ए0 संख्या–514/2025, दिनांक–17.12.2025 के द्वारा प्रकरण में संयुक्त जांच हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों को नामित किया गया है, (जिसकी प्रति संलग्न है **संलग्नक–01**), जो कि निम्नवत् है :–

1–श्री शरद कुमार सिंह, मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा) मुरादाबाद।
2–प्रभागीय/जिला वन अधिकारी, बिजनौर।
3–डा0 कीर्ति वर्मा, Project Officer, Small River Rejuvenation Cell, NMCG.
4–डा0 प्रीति त्रिपाठी, Joint Director/Scientist D, MOEF & CC, Lucknow.
5–श्री रमन कांत, अध्यक्ष भारतीय नदी परिषद, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
6–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

उक्त गठित संयुक्त समिति द्वारा मालन नदी, नजीबाबाद, जिला–बिजनौर पर किये गये अवैध निर्माण (Encroachment) के संबंध में सर्वेक्षण/निरीक्षण दिनांक–06.01.2026 एवं 07.01.2026 को संयुक्त रूप से किया गया। समिति की संयुक्त सर्वेक्षण/निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

अधिशासी अभियन्ता, अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड, धामपुर, जिला–बिजनौर द्वारा अपने पत्र संख्या–3866/अ0सिं0ख0/डब्लू–6(एन0जी0टी0), दिनांक–12.01.2026 के द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–514/2025, Sandeep Kumar Verma Versus State of Uttar Pradesh and Ors. में पारित आदेश दिनांक–17.10.2025 के अनुपालन में सिंचाई विभाग से सम्बन्धित आख्या प्रेषित की गयी है, जिसमें उल्लिखित है कि :–

...........मालन नदी के Floodplain निर्धारण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 3159/अ०सि०ख० /डब्लू–6 (एन०जी०टी०), दिनांक–24.11.2025 (**संलग्नक–02**) द्वारा राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान,

(NIH) रुड़की से अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, (NIH) रुड़की ने अपने Letter No- SWHD/NH/ 2025-26 Date 25-November-2025 **(संलग्नक–03)** के माध्यम से Floodplain निधारण हेतु डाटा (High Resolution Digital Elevation Model and contour data) River Cross-Section etc) उपलब्ध कराने की बांछना की है, जिसके कम में इस कार्यालय के पत्रांक 3163/अ०सि०ख० / डब्लू–6 (एन०जी०टी०), दिनांक 26.11.2025 **(संलग्नक–04)** द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग मानचित्र भवन उ०प्र० भू–स्थानिक निदेशालय (उत्तरी क्षेत्र), लखनऊ से बाँछित डाटा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग मानचित्र भवन उ०प्र० भू–स्थानिक निदेशालय (उत्तरी क्षेत्र), लखनऊ द्वारा वांछित डाटा उपलब्ध कराने के लिए अपने पत्रांक सं0 4448/39–सी–ई०डी० (कोर्ट केस), दिनांक 26.12.2025 **(संलग्नक–05)** के माध्यम से धनराशि रू० 36.18 लाख की मांग की गयी। जिसके कम में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा UTR No- XUTR/RBISH002168851 के माध्यम से धनराशि रु 36.18 लाख का भुगतान दिनांक 07.01.2026 के द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग मानचित्र भवन उ०प्र० भू–स्थानिक निदेशालय (उत्तरी क्षेत्र), लखनऊ को कर दिया गया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग मानचित्र भवन उ०प्र० भू–स्थानिक निदेशालय (उत्तरी क्षेत्र) लखनऊ ने अपने पत्रांक 118/39–सी– ई०डी० (कोर्ट केस), दिनांक 12.01.2026 **(संलग्नक–06)** द्वारा वांछित डाटा उपलब्ध कराने के लिए अनुबन्ध आवंटन के पश्चात 4 माह का समय लगना अनुमानित बताया है। राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, (NIH) रुड़की को मालन नदी का floodplain निर्धारण हेतु उनके द्वारा वांछित डाटा उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है, जिसमें उपरोक्तानुसार लगभग 4 माह का समय लगना अनुमानित है। उपरोक्तानुसार आकड़े उपलब्ध होने के पश्चात राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, (NIH) रुड़की द्वारा मालन नदी के floodplain निर्धारण का कार्य किया जाना है ....

अधिशासी अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद, जिला–बिजनौर द्वारा अपने पत्र संख्या–535/न0पा0प0/नजी0–2026, दिनांक–13.01.2026 (छायाप्रति संलग्न **(संलग्नक–07)** के द्वारा घरेलू जल–मल के शोधन हेतु सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0) की स्थापना के सम्बन्ध में बिन्दुवार सूचना प्रेषित की गयी है जो कि निम्नवत् है :–

1–घरेलू जल–मल के शोधन हेतु सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस०टी०पी०) की स्थापना के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), मुरादाबाद को एस0टी0पी0 के निर्माण हेतु ग्राम रामपुर बनवारी एहतमाली परगना व तहसील नजीबाबाद में स्थित भूमि जिसका गाटा सं0–42/3 क्षेत्रफल 0.139 है०, 42/33 क्षेत्रफल 0.126 है0, 42/33/4 क्षेत्रफल 0.53 है० कुल रकबा 0.518 है० उपलब्ध करा दी गयी है। जो खतौनी में श्रेणी–6 रेत की भूमि अंकित है।

2. नगर पालिका परिषद नजीबाबाद से जनित जल–मल के निस्तारण हेतु मालन नदी में चार (4) ड्रेन मिल रहे है।

3.

		फ्लो (एम0एल0डी0)
(i)	शकूर नगर ड्रेन।	1.056
(ii)	रामलीला ग्राउण्ड मौ० पाईबाग ड्रेन।	0.75
(iii)	एच०एम०एच० हॉस्पिटल ड्रेन।	0.772
(iv)	सन्तोषी माता मन्दिर ड्रेन।	0.532

4. उपरोक्त चारो ड्रेन पर क्वालिटी की जांच हेतु सैम्पल भेजे गये थे जिनकी जांच रिपोर्ट संलग्न है **(संलग्नक–08)**।

5. इन चार ड्रेन में से दो (1) एच०एम०एच० हॉस्पिटल (2) शकूर नगर ड्रेन पर बायोरेमिडियेशन मैथड का उपयोग किया जा रहा था। जो बायो कल्चर खत्म होने के कारण वर्तमान में बंद थे, बायो कल्चर क्रय करने का कार्यादेश दे दिया गया था, जो कि दिनांक 08.01.2026 को उपलब्ध हो गये हैं, जिससे इन दोनो (1) एच०एम०एच० हॉस्पिटल (2) शकूर नगर ड्रेन पर बायोरेमिडियेशन का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

मालन नदी के कैंचमेन्ट एरिया में तहसील–नजीबाबाद, जिला–बिजनौर में 04 नं0 उद्योग कमशः 1–मैसर्स उत्तम शुगर मिल्स लि0 (शुगर इकाई), ग्राम–बरकातपुर, तहसील–नजीबाबाद, जिला–बिजनौर, 2–मैसर्स उत्तम शुगर मिल्स लि0 (आसवनी इकाई), बरकातपुर, तहसील–नजीबाबाद, जिला–बिजनौर, 3–मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 (शुगर इकाई), स्नेह रोड, नजीबाबाद, जिला–बिजनौर एवं 4–मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 (आसवनी इकाई), स्नेह रोड, नजीबाबाद, जिला–बिजनौर स्थापित है। उक्त उद्योगों के संबंध में आख्या का विवरण निम्नवत है :–

(क) **मैसर्स उत्तम शुगर मिल्स लि0 (शुगर इकाई), ग्राम–बरकातपुर, तहसील–नजीबाबाद, जिला–बिजनौरः–**

1. उद्योग में कच्चे माल के रूप में गन्ना का प्रयोग कर चीनी का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की गन्ना पेराई क्षमता 8500 टी0सी0डी0 एवं को–जनरेशन पॉवर–40 मेगावाट है।
2. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू एवं औद्योगिक प्रयोजन हेतु किया जाता है। उद्योग में घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 50 कि0ली0/दिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित है। उद्योग की औद्योगिक प्रकिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के आउटलेट पर ऑनलाइन कन्टीन्यूअस इफ्ल्यूएन्ट मानिटरिंग सिंस्टम स्थापित है, जो कि उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सर्वर से जुडा है। उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयन्त्र के माध्यम से शोधित उत्प्रवाह को लैगून (भण्डारण क्षमता 21000 घनमीटर) में एकत्रित कर कृषि भूमि की सिंचाई में प्रयुक्त किया जाता है। उद्योग द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से शोधित उत्प्रवाह को बागवानी की सिंचाई हेतु प्रयुक्त किया जाता है। उद्योग के निरीक्षण दिनांक–07.01.2026 को उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयन्त्र एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के आउटलेट से निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर एवं सील कर क्षेत्रीय कार्यालय, बिजनौर की प्रयोगशाला से विश्लेषण कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार प्रचालकों का मान निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये। विश्लेषण आख्यायें संलग्न है, **(संलग्नक–09)**।
3. उद्योग में 70 टन/घंटा वाष्प जनन क्षमता के 02 नं0 ब्वॉयलर स्थापित हैं। उद्योग में स्थापित 70 टन/घंटा वाष्प जनन क्षमता के दोनों ब्वॉयलर्स पर वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में पृथक–पृथक इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ई0एस0पी0) स्थापित हैं तथा फ्लू गैस उत्सर्जन हेतु उक्त दोनों ब्वॉयलर्स से सम्बद्ध संयुक्त चिमनी की भूतल से ऊँचाई 60 मीटर है। उक्त ब्वॉयलर्स से सम्बद्ध संयुक्त चिमनी पर ऑनलाइन कन्टीन्यूअस इमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित है, जोकि उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से जुड़ा है। उद्योग में स्थापित उक्त ब्वॉयलर्स में ईधन के रूप में बैगास–1590 मीट्रिक टन/दिन का प्रयोग किया जाता है।

4. उद्योग को बोर्ड द्वारा निवेश मित्र योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन सन्दर्भ सं0–226921/UPPCB /Bijnore(UPPCBRO)/CTO/both/BIJNOR/2024 दिनांक–31.12.2024 द्वारा गन्ना पेराई क्षमता–8,500 टी0सी0डी0 एवं को–जनरेशन पॉवर 40 मेगावाट हेतु Consolidated consent to operate निर्गत की गयी है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक–31.12.2026 तक है।

(ख) <u>मैसर्स उत्तम शुगर मिल्स लि0 (आसवनी इकाई), ग्राम–बरकातपुर, तहसील–नजीबाबाद, जिला–बिजनौर:–</u>

1. उद्योग में कच्चे माल के रूप में सी–हैवी मोलासेस का प्रयोग कर रेक्टिफाइड स्प्रिट/एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल/एब्सॉल्यूट एल्कोहल क्षमता 250 कि0ली0/दिन का उत्पादन किया जाता है अथवा बी–हैवी मोलासेस/शुगर सीरप का प्रयोग कर रेक्टिफाइड स्प्रिट/एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल/एब्सॉल्यूट एल्कोहल क्षमता 288 कि0ली0/दिन का उत्पादन किया जाता है। उद्योग में को–जनरेशन पावर 9.8 मेगावॉट एवं CO_2–202 टन/दिन का उत्पादन किया जाता है।
2. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू एवं औद्योगिक प्रयोजन हेतु किया जाता है। घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया जाता है। उद्योग से जनित स्पैण्टवॉश को मल्टीइफेक्ट इवापोरेटर (क्षमता 1000 घनमीटर/दिन, 860 घनमीटर/प्रतिदिन, 427 घनमीटर /दिन एवं 1240 घनमीटर/दिन) के माध्यम से सान्द्रित कर स्लोप ब्वॉयलर में भष्मीकृत किया जाता है तथा मल्टीइफेक्ट इवापोरेटर से जनित कण्डेनसेट, स्पेन्टलीज, कूलिंग टावर ब्लो डाउन, ब्वॉयलर ब्लो डाउन को सी0पी0यू0 के माध्यम से शोधित कर मोलासेस डायलूशन एवं कूलिंग टॉवर में प्रयुक्त कर शून्य उत्प्रवाह निस्तारण किया जाता है। उद्योग निरीक्षण दिनांक–07.01.2026 के समय शून्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्था मेन्टेन पायी गयी। उद्योग में स्थापित मल्टीइफेक्ट इवापोरेटर के इनलेट एवं आउटलेट पर मास फ्लोमीटर स्थापित हैं, जो कि केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सर्वर से जुडे हैं।
3. उद्योग में स्पेन्टवॉश के भण्डारण हेतु 2522 घनमीटर क्षमता का पक्का लैगून स्थापित है। उक्त लैगून पर वेब कैमरा स्थापित है, जो कि उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सर्वर से जुडा है।
4. उद्योग में 60 टन/घंटा वाष्प जनन क्षमता के स्लोप फायर्ड ब्वॉयलर पर वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ई.एस.पी.) एवं फ्लू गैस उत्सर्जन हेतु भूतल से 85 मीटर ऊँची चिमनी (आर.सी.सी.) स्थापित है। उक्त ब्वॉयलर से सम्बद्ध चिमनी पर ऑनलाइन कन्टीन्यूअस इमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित है, जो कि केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सर्वर से जुडा है।
5. उद्योग को निवेश मित्र योजना के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय के ऑनलाइन सन्दर्भ सं0–194779/UPPCB/Bijnore(UPPCBRO)/CTO/both/BIJNOR/2023 दिनांक–18.01.2024 के द्वारा उद्योग को सशर्त Consolidated consent to operate निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2028 तक है।

(ग) मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 (शुगर इकाई), स्नेह रोड, नजीबाबाद, जिला–बिजनौर :–

1–उद्योग में कच्चे माल के रूप में गन्ना का प्रयोग कर चीनी का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की गन्ना पेराई क्षमता 3000 टी0सी0डी0 है।

2–औद्योगिक प्रकिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के आउटलेट पर ऑनलाइन कन्टीन्यूअस इफ्लयूऐन्ट मॉनीटरिंग सिस्टम स्थापित है, जो कि उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सर्वर से जुड़ा है। उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयन्त्र के माध्यम से शोधित उत्प्रवाह को प्रकिया में पुनः प्रयोग एवं पक्के लैगून में एकत्रित किया जाता है। लैगून से शोधित उत्प्रवाह को कृषि भूमि की सिंचाई में प्रयुक्त किया जाता है। घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया जाता है। उद्योग के निरीक्षण दिनांक–31.12.2025 को उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयन्त्र के आउटलेट से निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर एवं सील कर क्षेत्रीय कार्यालय, बिजनौर की प्रयोगशाला से विश्लेषण कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार प्रचालकों का मान निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये। विश्लेषण आख्या संलग्न है, **(संलग्नक–10)।**

3–उद्योग में स्थापित 32 टन/घंटा वाष्प जनन क्षमता के दो नं0 ब्वॉयलर स्थापित हैं। उक्त दोनों ब्वॉयलर्स पर वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में पृथक–पृथक वेट स्कबर तथा फ्लू गैस उत्सर्जन हेतु संयुक्त चिमनी भूतल से 30 मीटर ऊँची स्थापित है। ब्वॉयलर से सम्बद्ध संयुक्त चिमनी पर ऑनलाइन कन्टीन्यूअस इमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित है, जो कि केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सर्वर से जुडा है।

4–उद्योग को निवेश मित्र योजना के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय के ऑनलाइन सन्दर्भ सं0–228513/UPPCB/Bijnore(UPPCBRO)/CTO/both/BIJNOR/2024 दिनांक–16.01.2025 के द्वारा उद्योग को सशर्त Consolidated consent to operate निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2025 तक थी। उद्योग द्वारा सी0टी0ओ0 नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है, जोकि विचाराधीन है।

(घ) मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 (आसवनी इकाई), स्नेह रोड, नजीबाबाद, जिला–बिजनौर :–

1. उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में शीरे का प्रयोग कर रेक्टीफाइड स्प्रिट/एब्सोल्यूट एल्कोहल–40 कि0ली0/दिन एवं को–जनरेशन पावर 1.2 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है।
2. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रक्रिया में किया जाता है। घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया जाता है। उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह (स्पैण्टवॉश) को शून्य उत्प्रवाह निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है, जिसकी इकाइयाँ कमशः मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर (पांच स्टेज), स्लोप फायर्ड ब्वॉयलर, कन्डेनसेट पॉलिशिंग यूनिट, स्पेण्टवाश लैगून क्षमता–1600 घनमीटर स्थापित है। उद्योग में मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर से जनित कन्सन्ट्रेट स्पेन्टवॉश को स्लोप फायर्ड ब्वॉयलर में भष्मीकृत किया जाता है तथा जनित कन्डेनसेट, डब्ल्यू0टी0पी0 रिजेक्ट, कूलिंग टावर एवं ब्वॉयलर ब्लोडाउन को कन्डेनसेट पॉलिशिंग यूनिट (सी0पी0यू0) के माध्यम से उपचारित कर शुद्धिकृत उत्प्रवाह को मोलासेस डायलूशन एवं कूलिंग टॉवर में प्रयुक्त कर शून्य उत्प्रवाह निस्तारित किया जाता है।

3. उद्योग में मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर के इनलेट एवं आउटलेट पर इलेक्ट्रो मेग्नेटिक फ्लोमीटर स्थापित है। उद्योग के लैगून पर 01 नं0 पी0टी0जैड वेब कैमरा स्थापित है, जो कि केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सर्वर से जुडा है।
4. उद्योग में स्लोप फायर्ड ब्वॉयलर–01 नं0 (वाष्प जनन क्षमता 12.5 टन/घंटा) स्थापित है। उक्त ब्वॉयलर पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ई0एस0पी0) तथा फ्लू गैस उत्सर्जन हेतु भूतल से 48 मी0 ऊँची चिमनी स्थापित है।. चिमनी पर ऑनलाइन कन्टीन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित है, जो कि उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सर्वर से जुडा है। उक्त ब्वॉयलर में ईंधन के रूप में बैगास–45 मीट्रिक टन/दिन एवं कन्सन्ट्रेट स्पेन्टवॉश का प्रयोग किया जाता है। उद्योग स्वयं के कारणों से दिनांक–13.03.2024 से बंद है।
5. उद्योग को निवेश मित्र योजना के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय के ऑनलाइन सन्दर्भ सं0–177129/UPPCB/Bijnore(UPPCBRO)/CTO/both/BIJNOR/2023 दिनांक–02.03.2023 के द्वारा उद्योग को सशर्त Consolidated consent to operate निर्गत थी, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2024 तक थी।

- समिति के NMCG सदस्यों द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं :–

S.No	Directive	Current Status	Gap / Recommendation	Concerned Department
1	**Identification and GIS mapping of river and floodplain**	Incomplete; no formal demarcation	Conduct hydrological studies; delineate floodplain for 5, 25, 50, 100-year return periods; prepare GIS map with notification	Irrigation / Minor Irrigation
2	**Catchment rehabilitation**	Ongoing degradation; no formal plan	Prepare integrated catchment management plan addressing forestry, agriculture, groundwater, and erosion control	Irrigation / Minor Irrigation & Forest Department
3	**Encroachment identification and removal**	Identified through site visit	Conduct formal survey; issue notices under applicable land acts	District Administration
4	**Drain tapping and STP construction**	No tapping; no treatment facility	Identify all drains; design interceptor/diversion lines; construct STP with adequate capacity	SMCG / NMCG
5	**Review of treatment facilities**	No existing facility for Malan	Conduct capacity assessment of any available MSWM or treatment infrastructure; plan augmentation	Swachh Bharat mission (SBM)
6	**Riparian Buffer**	Non-existent, only weeds found	Demarcate riparian buffer zone and plantation of native species	Forest Department

7

7	**Treated water reuse**	Not applicable at present	After STP construction, design reuse pipeline to irrigation canal and/or industrial users	SMCG / NMCG

उपरोक्त सर्वेक्षण / निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

कम सं0	नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री शरद कुमार सिंह	मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा) मुरादाबाद।	
2	जय सिंह कुशवाहा	प्रभागीय जिला वन अधिकारी, बिजनौर।	
3	डा0 कीर्ति वर्मा	Project Officer, Small River Rejuvenation Cell, NMCG.	
4	डा0 प्रीति त्रिपाठी	Joint Director/Scientist D, MOEF CC, Lucknow.	
5	श्री रमन कांत	अध्यक्ष भारतीय नदी परिषद, मेरठ, उत्तर प्रदेश।	
6	डा0 उमेश चन्द्र शुक्ला	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।	
7	श्री माहिर हुसैन	सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।	

ANNEXURE-2

जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता मे कलेक्ट्रेट समागार बिजनौर मे दिनॉक 21.04.2026 को सांय 5 बजे आहुत जिला गंगा समिति बिजनौर की बैठक का कार्यवृत्त :–

बैठक में उपस्थित अधिकारीगणों की सूची :–

क्र0स0	विवरण
01	मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी जिला गंगा समिति बिजनौर।
02	मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर।
03	क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड बिजनौर।
04	जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर।
05	नगर पालिका परिषद बिजनौर
06	जिला कृषि अधिकारी बिजनौर।
07	अधिशासी अभियन्ता अफजलगढ सिंचाई खण्ड धामपुर
08	अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 बिजनौर।
09	जल निगम ग्रामीण बिजनौर।
10	अधिशासी अभियन्ता जल निगम शहरी मुरादाबाद बिजनौर।
11	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी बिजनौर।
12	जिला परियोजना अधिकारी, नमामि गंगे बिजनौर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा समिति बिजनौर की अध्यक्षता मे आयोजित जिला गंगा समिति की बैठक मे प्रभागीय निदेशक सा0वा0प्रभाग बिजनौर द्वारा बैठक मे उपस्थित समस्त अधिकारीगणो का स्वागत कर बैठक का औपचारिक शुभारम्भ किया तथा जिला गंगा समिति के कार्य व गतमाह मे आयोजित गतिविधियो के सम्बन्ध मे अवगत कराया। जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा समिति बिजनौर द्वारा पिछली बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा की गयी, वर्तमान माह के एजेण्डा के अनुसार बिन्दुवार निम्न प्रकार है –

1. **विद्युत शवदाह ग्रह निर्माण के सम्बन्ध मे चर्चा** – जिला परियोजना अधिकारी, नमामि गंगे द्वारा बताया गया कि गंगा बैराज घाट पर विद्युत शवदाह ग्रह निर्माण की आवश्यकता है जिसके लिये जिला गंगा समिति द्वारा पूर्व मे दिनॉक 10 जनवरी 2024 को नगरपालिका परिषद बिजनौर से प्राप्त डीपीआर के आधार पर दिनॉक 10 जनवरी 2024 को प्रभागीय निदेशक कार्यालय से सचिव/परियोजना निदेशक नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग/परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन– उ0प्र0 को व दिनॉक 27.02.2024 को जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर से सचिव/परियोजना निदेशक नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग/परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन– उ0प्र0 को पुनः व दिनॉक 22.11.2024 को प्रभागीय निदेशक कार्यालय से सचिव/परियोजना निदेशक नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलांपूर्ति विभाग/परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन– उ0प्र0 को पुनः गंगा बैराज घाट

पर विद्युत शवदाह ग्रह निर्माण हेतु वित्तपोषण सम्बन्धि अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु राज्य स्वच्छ गंगा मिशन प्रेषित किया जा चुका है। जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा समिति बिजनौर द्वारा सम्बन्धित को निर्देशित किया कि गंगा बैराज घाट पर विद्युत शवदाह ग्रह के निर्माण हेतु जनपद स्तर से अन्य प्रयास करते आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चि की जाये।

(कार्यवाही – नगरपालिका परिषद बिजनौर)

2. **गंगा बैराज घाट पर स्वच्छता व अन्य कार्यो के सम्बन्ध मे –** जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे द्वारा बताया गया कि गंगा बैराज घाट पर पर बड़ा तिरंगा के उद्वघाटन समारोह के सम्बन्ध मे तथा बैराज घाट पर समुचित सफाई व्यवस्था कराने हेतु अवगत कराया गया। उक्त के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा समिति बिजनौर द्वारा सम्बन्धित को निर्देशित किया गया कि इस माह मे शीघ्र ही उक्त के सम्बन्ध मे कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही – नगरपालिका परिषद बिजनौर व पंचायत राज विभाग बिजनौर।)

3. **गंगा नदी मे प्रवाहित सीवेज/ड्रेन के उचित निस्तारण व प्रबन्धन के सम्बन्ध मे –** जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा पूर्व मे किये गये ड्रोन सर्वेक्षण के पश्चात जल निगम ग्रामीण, जिला परियोजना अधिकारी द्वारा गंगा नदी के मे जा रहे नालो का सर्वेक्षण किया गया जिसमे पाया गया कि ग्राम सीमली, कुन्दनपुर, दयालवाला, देवलगढ के ग्राम का सीवेज बिना किसी शोधन के सीधे गंगा नदी मे प्रवाहित हो रहा है जिससे गंगा नदी का जल दूषित हो रहा है जिसके क्रम मे जिला पंचायत राज अधिकारी, आवश्यक कार्यवाही की जा रही है जिसमे निश्चय लिया कि उन स्थानो पर सोख्ता पिट बनाकर दूषित पानी का शोधन किया जा सकता है। जिलाधिकारी महादेया द्वारा पंचायत राज विभाग को निर्देशित किया गया कि इन सभी ग्रामो मे गंगा नदी मे प्रवाहित हो रहे सीवेज/ड्रेन के उचित <u>प्रबन्धन/निस्तारण</u> करना सुनिश्चित करें ताकि गंगा नदी का जल निर्मल, अविरल व शुद्व बना रहे।

(कार्यवाही – पंचायत राज विभाग बिजनौर)

4. **NMCG- GDPMS पोर्टल के समस्त बिन्दुओ पर चर्चा –** जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे द्वारा बताया गया कि जिला गंगा समिति की मासिक बैठक का कार्यवृत्त व सम्बन्धित सूचना राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई द्रिल्ली के पोर्टल **GDPMS** पर अपलोड किये जाते है, जनपद द्वारा उपरोक्त 10 विषयो पर किये गये कार्य की गुणवत्ता के आधार पर अंक प्रदान किये जाते है व प्रदत्त अंको के आधार पर जनपद की रैंकिग निर्धारित होती है। गत माह मे जनपद बिजनौर रैंकिग श्रेणी मे द्वितीय स्थान पर रहा। जिलाधिकारी महोदया द्वारा सभी विभागो को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह बैठक से पूर्व सभी विभाग सम्बन्धित रिपोर्ट व सम्बन्धित फोटो जिला गंगा समिति कार्यालय को उपलब्ध कराये ताकि **GDPMS** पोर्टल पर सभी सूचनाए समयानुसार अपलोड की जा सके तथा जनपद बिजनौर रैंकिग मे अग्रणी स्थान पर रहे। **(कार्यवाही – जिला गंगा समिति बिजनौर के समस्त सदस्य)**

नदी पुनरोद्वार के सम्बन्ध मे चर्चा – जिला परियोजना अधिकारी, नमामि गंगे द्वारा बताया गया कि परियोजना निदेशक कार्यालय राज्य स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे एक जनपद एक नदी के क्रम मे पुनरोद्वार हेतु कार्ययोजना बनाये जाने के सम्बन्ध मे निर्देशित किया गया है, इस क्रम मे एक जनपद एक नदी के उद्वेश्य से मालन नदी के पुनरोद्वार हेतु कार्ययोजना बनाते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु राज्य स्वच्छ गंगा मिशन कार्यालय लखनऊ को प्रेषित किया गया है। उक्त के क्रम मे मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी द्वारा सम्बन्धित को निर्देशित किया गया कि मालन नदी के पुनरोद्वार हेतु अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही – अधिशासी अभियन्ता अफजलगढ सिंचाई खण्ड धामपुर।)

6. **एनजीटी प्रकरण OA No. 514/2025 SANDEEP KUMAR VERMA VS STATE OF UP** - जिला परियोजना अधिकारी द्वारा बताया गया कि एक एनजीटी प्रकरण है जिसमे माननीय एनजीटी OA संख्या 514/2025 मालन नदी में अतिक्रमण के मामले पर विचार कर रहा है। अगले सुनवाई की तिथि 20.05.2026 है, जिससे पूर्व जिलाधिकारी महोदया बिजनौर का हलफनामा दाखिल किया जाना है। UPPCB ने 03.04.2026 को मलान नदी के हिस्से का पुनः निरीक्षण किया। यह नदी यूपी में मथुरापुर मोड़ नजीबाबाद से प्रवेश करती है और गांव रावली में गंगा नदी में मिलती है। इसमें 06 प्रमुख और छोटे नाले हैं जो असंसाधित जल मालन नदी में छोड़ते हैं। आवेदनकर्ता के अनुसार अतिक्रमण और अवैध कॉलोनियाँ जैसे अबूफ़ज़ल कॉलोनी आदि मौजूद हैं । उक्त के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी महोदया द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड बिजनौर को निर्देशित किया कि समस्त वांछित सूचनाए सम्बन्धित विभागो से प्राप्त कर संकलन करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को ससमय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अंत मे उपस्थित सभी सदस्यो से जिलाधिकारी महोदया/ अध्यक्ष जिला गंगा समिति बिजनौर ने अन्य कोई बिन्दु हो तो अवगत कराने हेतु कहा इसी क्रम मे जिलाधिकारी महोदया/ अध्यक्ष जिला गंगा समिति बिजनौर द्वारा सम्बन्धित विभागो को निर्देशित किया कि बैठक मे बिन्दुवार समीक्षा के समय दिये गयें उपरोक्त निर्देशो का अनुपालन करते हुए सभी रिपोर्ट को समयनुसार बैठक से पूर्व समिति को प्रेषित करे। अन्त मे अन्य कोई बिन्दु चर्चा मे न आने के कारण अध्यक्ष महोदया की अनुमति से प्रभागीय निदेशक द्वारा बैठक का सधन्यवाद समापन किया गया।

जिला गंगा समिति, बिजनौर (उ0प्र0)

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर।

पत्र संख्या-3684 जिला गंगा समिति बिजनौर :अप्रैल-25 2026।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— जिलाधिकारी महोदया/अध्यक्ष जिला गंगा समिति बिजनौर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2— मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी नमामि गंगे बिजनौर को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
3— मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर।
4— उप प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर/नजीबाबाद।
5— क्षेत्रीय अधिकारी यू0पी0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।
6— अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, ग्रामीण ।
7— अधिशासी अभियन्ता जल निगम शहरी बिजनौर
8— अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बिजनौर ।
9— अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बिजनौर।
10— अधिशासी अंभियन्ता, अफजलगढ सिंचाई खण्ड धामपुर ।
11— जिला पंचायत राज अधिकारी, बिजनौर ।
12— जिला परियोजना अधिकारी, नमामि गंगे बिजनौर।

भवदीय

(जय सिंह कुशवाहा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर/
सदस्य संयोजक, जिला गंगा समिति बिजनौर।

 ANNEXURE-3

कार्यालय नगरपालिका परिषद नजीबाबाद (बिजनौर)

पत्रांक १०५० /न०पा०प०/नजी०–2026–27 दिनांकः–02.05.26

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रणबोर्ड,
बिजनौर।

विषयः– जिलाधिकारी महोदया, बिजनौर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार, बिजनौर में दिनांक 21.04.2026 को सांय 05 बजे आहुत जिला गंगा समिति, बिजनौर की बैठक के दौरान दिये गये निर्देशों के अनुपालन की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 166/एन–73/जनरल–2026 दिनांक 28.04.2026 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 21.04.2026 को आहुत जिला गंगा समिति बिजनौर की बैठक के दौरान दिये गये निर्देशों के क्रम में बिन्दु सं0–6 जो कि एन0जी0टी प्रकरण OA No-514/2025 संदीप कुमार वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश के अनुसार मालन नदी में अतिक्रमण के मामले से सम्बन्धित है, पर सम्बन्धित विभागों से उक्त प्रकरण में की गयी कार्यवाही की आख्या चाही गयी है, जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकरण में आपके पत्र में उल्लेखित बिन्दु सं0 1 व बिन्दु सं0 2 कार्यालय नगर पालिका परिषद नजीबाबाद से सम्बन्धित हैं जिनपर की गई कार्यवाही बिन्दूवार निम्नवत् है–

01. <u>मालन नदी में किये जा रहे नालों से जनित उत्प्रवाह को शोधित किये जाने के संबंध में–</u> अवगत करना है कि, मालन नदी में छः नालों से जनित उत्प्रवाह शोधित किये जाने के संबंध में है निरीक्षण के उपरान्त पाया गया पालिका क्षेत्रान्तर्गत पांच नाले 1. अबलु फ़जल कालौनी से मालन नदी तक का नाला 2. रामलीला ग्राउण्ड से मालन नदी में गिरने वाला नाला 3. सन्तोषी माता मन्दिर वाला नाला 4. एच0एम0एच0 हॉस्पिटल का नाला 5. शकूर नगर से होते हुऐ मालन नदी में गिरने वाले नालों के दूषित जल को शोधित किये जाने हेतु पालिका द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट हेतु स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0 के यूज्ड वॉटर मेनेजमेन्ट के अन्तर्गत मालन नदी के किनारे जमीन का चयन कर एस0टी0पी0 कम, एफ0एस0टी0पी0 के अधिष्ठापन के कार्य हेतु जल निगम द्वारा टेण्डर प्रक्रिया की जा रही है।

02. <u>अबुल फजल कालौनी नजीबाबाद द्वारा किये गये अतिक्रमण किये जाने के संबंध में–</u> अवगत कराना है कि, मालन नदी पर स्थित अबुल फजल कालौनी से सम्बन्धित किसी मानचित्र पर कार्यालय नगर पालिका परिषद नजीबाबाद द्वारा कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही किया गया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई एन0ओ0सी0 हेतु प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उपरोक्त कालौनी पर कार्यवाही तहसील/कार्यालय नियत प्राधिकारी वियमित क्षेत्र से सम्बन्धित है। अतिक्रमण के सम्बन्ध में दिनांक 02.05.2026 को ग्राम रामपुर बनवारी ए0 परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर में अवस्थित अबुल फजल कालोनी का स्थलीय निरीक्षण नगर पालिका नजीबाबाद, तहसील नजीबाबाद व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, स्थलीय निरीक्षण में निरीक्षण के समय उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड से फिल्ड सहायक श्री रजनीश कुमार, नगर पालिका परिषद नजीबाबाद से राजस्व निरीक्षक श्री विपिन चौहान एवं राजस्व विभाग से श्री अशोक कुमार, क्षेत्रीय लेखपाल श्री शीशराम सिंह व श्री अभिषेक द्विवेदी पडोसी लेखपाल उपस्थित रहे। जिसमें मौके पर नजरी नक्शा व फोटोग्राफ तैयार किया गया, जिसकी संयुक्त आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु जिलास्तर पर शीघ्र प्रेषित कर दी जायेगी। आख्या सेवा में सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीया

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद नजीबाबाद

प्रतिलिपिः– उपजिलाधिकारी महोदय नजीबाबाद को सूचनार्थ।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद नजीबाबाद

ANNEXURE-4

कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र नजीबाबाद (बिजनौर)

कारण बताओ नोटिस

पत्रांक : 04/26-27/वि0क्षे0नजी/अना0विकास/2026–27 दिनांक 13 मई, 2026

श्री नईम अहमद पुत्र नजीर अहमद
निवासी मौ0 रम्पुरा, नजीबाबाद तहसील नजीबाबाद

विकास स्थल– **अबुलफजल कालोनी मौजा रामपुर बनवारी ए0 परगना व तहसील नजीबाबाद।**

(उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 10 के अन्तर्गत नोटिस)

ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 6 में निर्दिष्ट प्राविधानों के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, नजीबाबाद से अनुज्ञा प्राप्त किए बिना आप द्वारा अबुलफजल कालोनी मौजा रामपुर बनवारी ए0 परगना व तहसील नजीबाबाद पर अवैध प्लाटिंग का कार्य विन्यास मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किया गया, जिसके लिए आपको नियमानुसार विन्यास मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक था।

अतः आपसे अपेक्षित है कि आप दिनांक 25 मई 2026 को प्रातः 11.00 बजे नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, नजीबाबाद के कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्ट करें कि उपरोक्त अवैध निर्माण/प्लाटिंग के कार्य को गिराने/सील करने का आदेश क्यों न पारित कर दिया जाये, आप उक्त तिथि को स्वयं अथवा किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें।

नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी
विनियमित क्षेत्र नजीबाबाद

प्रतिलिपिः–

1– प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नजीबाबाद को नोटिस की दो प्रतियॉ तामील कराकर नोटिस की तामीला प्रति निर्धारित दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित

नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी
विनियमित क्षेत्र नजीबाबाद

ANNEXURE-5

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

आज़ादी का अमृत महोत्सव

टेली-फैक्स/Tele-fax – 0522-2720634
दूरभाष/Telephone-0522-2720638
ई-मेल/E-mail: up.gdc.soi@gov.in (Tech)
upgdc-fro@up.nic.in (Admin)

निदेशक का कार्यालय/Office of Director
भारतीय सर्वेक्षण विभाग/Survey of India
मानचित्र भवन/Manchitra Bhawan
उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक निदेशालय (उत्तरी क्षेत्र)
Uttar Pradesh G.D.(Northern Zone)
5, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010(उ0प्र0)
5, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (UP)

पत्र सं0 त- 116 /39-C-ED (Court Case) (Malan River) दिनांक:- 12/01/2026

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड, धामपुर (बिजनौर)
(Email ID:- executiveaid12@gmail.com)

विषयः- जनपद बिजनौर के शहर नजीबाबाद में मालन नदी का फ्लड प्लेन ज़ोन के निर्धारण हेतु आवश्यक डाटा व प्रोफार्मा बिल/ बिल उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भः- आपके कार्यालय का पत्र संख्या 3851/अ0सि0ख0/डब्लू-6 दिनांक 08/01/2026

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित पत्र के अनुक्रम में आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा वांछित मालन नदी के फ्लड प्लेन जोन निर्धारण हेतु DEM तथा ORI डाटा उपलब्ध कराने हेतु लगने वाली अवधि का ब्यौरा आपको दिनांक 26/12/2025 को उपलब्ध कराये गये Proposal of Drone Based Survey-Malan River के अन्तिम पृष्ठ पर उपलब्ध है। जिसके अनुसार उपरोक्त कार्य के लिए टेंडर प्रकिया और अनुबंध के आवंटन के पश्चात् कम से कम 04 माह का समय अनुमानित है।

उपरोक्त आपको सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः- यथोपरि।

भवदीय,

12.01.26.
(पवन कुमार द्विवेदी)
अधिकारी सर्वेक्षक/तकनीकी अधिकारी
कृते निदेशक

प्रतिलिपिः- अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र दिल्ली कैंट को सूचनार्थ प्रेषित।

ANNEXURE-6

Email ID:- pm_uwu_mbd@yahoo.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), मुरादाबाद

एस0टी0पी0 परिसर, हनुमान मूर्ति, गुलाबबाड़ी, मुरादाबाद–244001

पत्रांक 496 / ए–39 / 01 दिनांकः– 30.04.2026

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बिजनौर।

संशोधित

विषयः– जिलाधिकारी महोदया, बिजनौर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रैट सभागार, बिजनौर में दिनांक 21.04.2026 को सायं 05 बजे आहुत जिला गंगा समिति, बिजनौर की बैठक के दौरान दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 166/एन–73/जनरल–2026, दिनांक 28.04.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने जिलाधिकारी महोदया, बिजनौर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रैट सभागार, बिजनौर में दिनांक 21.04.2026 को सायं 05 बजे आहुत जिला गंगा समिति, बिजनौर की बैठक के दौरान दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में पत्र में अंकित तालिका के क्रमांक 01 पर अंकित बिन्दु से सम्बन्धित सूचना निम्नानुसार है :–

S. N.	STP Capacity	Name of Drains	Flow (MLD)	Timeline	आख्या
1	11.10 MLD	Yashwantpur Drain	To be measured by Irrigation/ Jal Nigam		अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त नाला नजीबाबाद नगर पालिका पषिद के क्षेत्रान्तर्गत नहीं आता हैं। अतः कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
2		Abufazal Colony Drain (Kachna Drain)	2.774	निविदा प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए अनुबन्ध गठन के उपरान्त कार्य प्रारम्भ कर 18 माह में पूर्ण करा लिया जाएगा।	उपरोक्त नालों के शोधन हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् एस0टीपी0 निर्माण कराकर उपरोक्त नालों को टैप कर शीघ्र ही नालों के श्राव को शोधित करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।
3		Ramleela ground Drain	0.75		
4		Santoshi Mata Mandir Drain	0.532		
5		HMH Hospital Drain	0.772		
6		Shakur Nagar Drain	1.056		
7		Dhoom Singh Drain	0.096		
8		Oil Depot Drain	5.039		

भवदीय

(मोहित राय)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी महोदया, जनपद बिजनौर।
2. उप जिलाधिकारी, तहसील–नजीबाबाद, जिला–बिजनौर।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।

अधिशासी अभियन्ता

ANNEXURE-7

प्रेषक,

जिलाधिकारी
बिजनौर।

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी
बिजनौर।

पत्रांक– 227/N-73/जनरल-2026 दिनांक– 11-05-2026

विषय–माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–514/2025 संदीप कुमार वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेशों के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–514/2025 संदीप कुमार वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेशों के कम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक– 218/एन–73/जनरल–2026 दिनांक–06.05.2026 के द्वारा जनपद बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत आच्छादित यशवन्तपुर नाले से निस्तारित सीवेज के शोधन हेतु कार्ययोजना प्रेषित किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0 में पारित उक्त आदेश के अनुकम में आपको निर्देशित किया जाता है कि नजीबाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत आच्छादित यशवन्तपुर नाले से जनित सीवेज को मालन नदी में मिलने से रोके जाने एवं शोधन हेतु व्यवस्था स्थापित एवं संचालित किये जाने हेतु कार्ययोजना कार्यालय जिलाधिकारी बिजनौर एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को ई–मेल आईडी robijnaur@uppcb.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(जसजीत कौर)
जिलाधिकारी
बिजनौर।

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को इस निर्देश के साथ उक्त के कम में जिला पंचायत राज अधिकारी, बिजनौर से समन्वय स्थापित करते हुये आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
बिजनौर।